

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान दीवानी वाद संख्या- 06/2003-04

गुमानी ग्वाला एवं अन्य।

वनाम

श्रीमति वलाये देवी एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारीख
	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह वाद दिनांक- 11.07.2003 को गुमानी ग्वाला,, 2. बैदु ग्वाला, दोनों का पिता- कन्दरु ग्वाला, 3. दुखु ग्वाला, पिता- स्व० खादु ग्वाला, 4. परेश ग्वाला, पिता- नन्दा ग्वाला, 5. श्रीमति कान्ती देवी, पति- स्व० शम्भु प्रधान, 6. त्रिनाथ प्रधान, पिता- स्व० शम्भु प्रधान, सभी निवासी पटाजैत, थाना+पो०- जगन्नाथपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule "B" में वर्णित भूमि के लिए प्रतिवादी संख्या 1. श्रीमति वलाये देवी, पति- स्व० जगबन्धु ग्वाला, 2. माईनर अगास्थी प्रधान, पिता- स्व० जगबन्धु ग्वाला, 3. राम कृष्णा ग्वाला, पिता- स्व० हरि ग्वाला, निवासी- जोड़ा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम, 4. धानेश्वर प्रधान, पिता- छुटा प्रधान, निवासी- पटाजैत, 5. बुध ग्वाला, पिता- खादु ग्वाला एवं 6. घसाया ग्वाला, पिता- मैना ग्वाला, निवासी ग्राम- केतन, जिला- उड़िसा के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से उभय पक्ष की ओर से परेवी नहीं करने के कारण नोटिस भेजा गया जिसके उपरान्त वादी की ओर से अंतिम हाजरी दिनांक- 23.12.2021 को दी गई। इसके बाद कई तिथि गुजर जाने के बाद भी दोनों पक्ष या उनके अधिवक्ता द्वारा वाद समर्थन में अपना पक्ष नहीं रखा जा रहा है। इससे प्रतीत होता है की वादी प्रतिवादी को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।</p> <p>अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज (Dismiss for default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> 22.03.22 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> 22.03.22 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</p>	